बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

आदेश

आदेश सं0–2प/वि0–17–23/2024/5648**/पं०रा०** पटना, दिनांक 29/4/25

लोक प्रहरी–सह–प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना के पत्रांक–63 दिनांक 02.03.2024 के द्वारा लोक प्रहरी वाद संख्या–02/2023 में श्री भरत जी ओझा, मुखिया, ग्राम पंचायत–सेमरियां, प्रखण्ड–शाहपुर, जिला–भोजपुर के विरूद्ध बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 18(5) के अन्तर्गत कार्रवाई करने का अनुशंसा किया गया।

2. उक्त अनुशंसा के अवलोकनोपरांत विभागीय पत्रांक–3810 दिनांक 06.05.2024 द्वारा लोक प्रहरी–सह–प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना से अनुरोध किया गया कि वाद से संबंधित सभी मूल अभिलेख तथा अनुषंगिक दस्तावेज विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराई जाय। उक्त विभागीय पत्र के आलोक में उप निदेशक, पंचायती राज, पटना प्रमण्डल, पटना के पत्रांक–130 दिनांक 4.05.2024 द्वारा लोक प्रहरी–सह–प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना की अनुशंसा एवं संलग्न दस्तावेज विभाग को उपलब्ध कराया गया।

3. लोक प्रहरी–सह–प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना से प्राप्त अनुशंसा एवं अनुषंगिक दस्तावेज के आधार पर श्री भरत जी ओझा, मुखिया, ग्राम पंचायत–सेमरियां, प्रखण्ड–शाहपुर, जिला–भोजपुर के विरूद्ध सरकार से अनुमोदन प्राप्त कर बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 18(5) के तहत कार्रवाई प्रारंभ किया गया। तदुपरांत श्री भरत जी ओझा, मुखिया को पत्रांक–7807 दिनांक 23.08.2024 एवं पत्रांक–9364 दिनांक 16.10.2024 के माध्यम से लोक प्रहरी–सह–प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना द्वारा पारित आदेश की प्रति उपलब्ध कराते हुए अपना पक्ष दिनांक 29.10.2024 को अधोहस्ताक्षरी के समक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

4. दिनांक 29.10.2024 को सुनवाई में श्री भरत जी ओझा, मुखिया द्वारा उपस्थित होकर अपने पक्ष में लिखित अभ्यावेदन समर्पित किया गया। उक्त अभ्यावेदन पर विभाग को अपना कंडिकावार मंतव्य सुनवाई की अगली तिथि दिनांक 15.11.2024 के पूर्व उपस्थापित करने हेतु निदेशित किया गया। दिनांक 15.11.2024 को निर्धारित सुनवाई अपरिहार्य कारणवश नहीं हो सकी, सुनवाई की अगली तिथि 20.11.2024 निर्धारित किया गया, परंतु उक्त तिथि को भी सुनवाई नहीं हो सकी और अगली तिथि 22.11.2024 को निर्धारित किया गया। दिनांक 22.11.2024 को सुनवाई में श्री भरत जी ओझा, मुखिया को जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भोजपुर की उपस्थिति में जिला पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा उनके अभ्यावेदन पर समर्पित बिन्दुवार उत्तर का अवलोकन कराया गया। सुनवाई की अगली तिथि 13.12.2024 को निर्धारित किया गया।

5. दिनांक 13.12.2024 को सुनवाई में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, शाहपुर एवं श्री भरत जी ओझा, मुखिया उपस्थित रहे। जिला पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये

कंडिकावार मंतव्य के संबंध में श्री भरत जी ओझा, मुखिया द्वारा लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। अभ्यावेदन के अवलोकन से ज्ञात हो रहा है कि दिनांक 05.01.2022 को आयोजित ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही के साथ संलग्न सूची में योग्य/अयोग्य लाभार्थियों के नामों की प्रविष्टि अलग–अलग हैंडराईटिंग में की गयी है। श्री भरत जी ओझा, मुखिया द्वारा यह भी बताया गया कि दिनांक 05.01.2022 को ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित सूची में अंकित नाम एवं आवास प्लस सॉफ्टवेयर में प्रविष्ट की गयी नामों में भिन्नता है।

6. उक्त तथ्यों के आलोक में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, शाहपुर को निदेशित किया गया कि दिनांक 05.01.2022 को ग्राम पंचायत–सेमरिया में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का लाभ देने हेतु आयोजित ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही की मूल पंजी, उक्त तिथि को ग्राम सभा की बैठक में प्रस्तुत सर्वे सूची, जिसके आधार पर योग्य एवं अयोग्य लाभुकों की सूची ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया गया है, उक्त सर्वे सूची, मूल पंजी के साथ स्वयं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं उस अवधि में उक्त ग्राम पंचायत में पदस्थापित पंचायत सचिव तथा आवास प्लस सॉफ्टवेयर में प्रविष्ट करने वाले कर्मी के साथ सुनवाई की अगली तिथि को उपस्थित रहेंगे। सुनवाई की अगली तिथि दिनांक 08.01.2025 को निर्धारित की गयी, जिसे अपरिहार्य कारणवश स्थगित करते हुए सुनवाई की अगली तिथि दिनांक 10.01.2025 को निर्धारित की गयी।

7. दिनांक 10.01.2025 को सुनवाई में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, शाहपुर, तत्समय के आवास पर्यवेक्षक, आवास सहायक एवं श्री भरत जी ओझा, मुखिया उपस्थित थे। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, शाहपुर द्वारा बताया गया कि तत्समय के पंचायत सचिव सेवानिवृत्त हो चुके हैं। मूल अभिलेख देखने से यह स्पष्ट होता है कि योग्य/अयोग्य लाभार्थियों के नाम की प्रविष्टि अलग–अलग Handwriting में एवं कलम से की गई है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, शाहपुर द्वारा बताया गया कि यह प्रविष्टि किनके द्वारा की गई है, इसका कोई Record नहीं है। वहीं सर्वे सूची के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उसमें भी कतिपय नाम के आगे मृत्यु, पक्का मकान इत्यादि अभ्युक्ति में प्रविष्टि की गई है तथा कुछ प्रविष्टियों के ऊपर whitener भी डाला गया है।

8. गत तिथि को श्री भरत ओझा द्वारा उठाये गये मुद्दे पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का पत्रांक–39 दिनांक 08.01.2025 की कंडिका–4 में स्पष्ट किया गया है कि दिनांक 05.01.2022 को ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित सूची में अयोग्य 60 लाभुकों को योग्य लाभुकों की प्राथमिकता सूची में आवास प्लस पर अपलोड किया गया है। उक्त का दायित्व संबंधित ग्रामीण आवास सहायक एवं ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक की होती है। प्रथम दृष्ट्या सूची के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि कतिपय नाम, जो तथाकथित रूप से ग्राम सभा के उपरांत अयोग्य श्रेणी के रूप में विभिन्न कलम से जोड़ा गया है एवं उनमें से कुछ नाम आवास प्रविष्टि में भी किये गये हैं। उदाहरणस्वरूप आवास प्लस आई0डी0–145028294, बजरंगी गोंड, पिता विक्रम गौंड आम सभा की पंजी के पृष्ठ–15 के अयोग्य परिवार के सूची में अंकित है। यही नाम सर्वे सूची के दूसरे पृष्ठ पर भी अंकित है, जिसमें पूर्व से अभ्युक्ति में किस परिस्थिति में whitener लगाया गया है तथा आवास प्लस की प्रविष्टि संख्या–2 में अंकित है।

9. प्रतिवेदन से यह भी स्पष्ट है कि प्राथमिकता सूची के अपलोड करने का दायित्व आवास पर्यवेक्षक एवं आवास सहायक का होता है। यह भी सर्व विदित है कि कार्यवाही पंजी सरकारी अभिलेख है, जिसकी अनुरक्षण एवं Custody पंचायत सचिव के समक्ष होती है।

10. उपरोक्त सभी अभिलेखों/साक्ष्यों के आधार पर यह तो स्पष्ट है कि ग्राम सभा के प्रस्ताव के अंश पर मुखिया का हस्ताक्षर है, परन्तु तत्पश्चात् योग्य एवं अयोग्य परिवारों की सूची किसके द्वारा लिखी गई, किन परिस्थितियों में लिखी गई, इसके लिए जिम्मेदारी निर्धारण संभव नहीं है। Accused की Handwriting दर्ज FIR की जांच में स्पष्ट होंगे। साक्ष्यों के अभाव में मुखिया के विरूद्ध गलत सूची की प्रविष्टि करने के लिए कार्रवाई संभव नहीं है। परन्तु, प्रतिवेदन में अंकित प्राथमिकी के अनुसंधान के क्रम में अथवा न्यायालीय साक्ष्य के क्रम में अगर आरोपित मुखिया के विरूद्ध किसी प्रकार के साक्ष्य आते हैं तो पुनः लोक प्रहरी सह–प्रमंडलीय आयुक्त के आदेश के आलोक में कार्रवाई की जा सकेगी। वहीं यह भी स्पष्ट है कि ग्राम सभा पंजी की कंडिका–3 में जानबूझ कर प्राथमिकता सूची में से अयोग्य परिवारों की संख्या की जगह खाली छोड़ी गई ताकि बाद में छेड़खानी की जा सके, इससे इनकी मंशा पर प्रथमदृष्टया प्रश्नचिह्न उठता है। यद्यपि पर्याप्त साक्ष्य नहीं होने से अभिलेख में जानबूझ कर जगह छोड़े जाने के लिए श्री भरत मुखिया को सचेत किया जाता है कि अगर किसी भी अन्य अभिलेख पर इस प्रकार की त्रुटि पायी जाती है तो माना जाएगा कि यह अद्यतन जानबूझ कर प्रविष्टियाँ छोड़ी जाती है। उनको यह भी हिदायत दी जाती है कि अभिलेख के सही Custodian एवं प्रक्रिया के संबंध में किसी प्रकार का विचलन न होने दे। अभिलेख/साक्ष्य सक्षम प्राधिकार के समक्ष रखें। सभी मूल अभिलेख वापस कर दिये गये हैं। सभी में तत्समय के ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक एवं आवास सहायक की लापरवाही स्पष्ट है, उन पर जिला पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त/सक्षम प्राधिकार द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है।

प्रस्ताव पर सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(दिवेश सैहरा)
सचिव

ज्ञापांक : 2प/वि०–17–23/2024/5648/पं0रा0 पटना, दिनांक 29/4/25

प्रतिलिपि : श्री भरत जी ओझा, मुखिया, ग्राम पंचायत–सेमरियां, प्रखण्ड–शाहपुर, जिला–भोजपुर को सूचनार्थ एवंआवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(दिवेश सैहरा)
सचिव

ज्ञापांक : 2प/वि०–17–23/2024/5648/पं0रा0 पटना, दिनांक 29/4/25

प्रतिलिपि : लोक प्रहरी–सह–प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, भोजपुर/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भोजपुर/प्रखंड विकास पदाधिकारी, शाहपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(दिवेश सैहरा)
सचिव

ज्ञापांक : 2प/वि०–17–23/2024/5648/पं0रा0 पटना, दिनांक 29/4/25

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री के आप्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(दिवेश सहरा)
सचिव

ज्ञापांक : 2प/वि०–17–23/2024/5648/पं0रा0 पटना, दिनांक 29/4/25

प्रतिलिपि : आई0टी0 प्रबंधक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(दिवेश सहरा)
सचिव